सेवा में,

प्रबन्धक,
सेन्ट्रल एकेडमी स्कूल
सेक्टर–4, विकास नगर
लखनऊ।

पत्रांकः D-386/NAS-4 दिनांकः 12.10.18

विषयः राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 के अनुरूप सुरक्षा के प्रमाण–पत्र के सन्दर्भ में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 18–09–2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपको अवगत कराना है कि आपके पत्र व उपलब्ध कराये गये छाया–प्रति अभिलेखों का परीक्षण किया गया है, जिसमें निम्न तथ्य प्रकाश में आये :–

(1) सेन्ट्रल एकेडमी, सेक्टर–4, विकास नगर, लखनऊ का विल्डिंग प्लान/मानचित्र वास्तु कला एवं नियोजन इकाई (पंचम), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ का पंजीकरण सं0–6604 दिनांक 03.01.2000 द्वारा हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत किया गया है तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पत्र में उक्त पते पर सेन्ट्रल एकेडमी, सेक्टर–4, विकास नगर, लखनऊ के संचालन का उल्लेख किया गया है जो संलग्नक के रूप में कार्यालय में प्रेषित किया गया है।

((2) सेन्ट्रल एकेडमी, सेक्टर–4, विकास नगर, लखनऊ को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ को सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या 42/एफएस–2018 : दिनांक 07–02–2018 निर्गत है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर सेन्ट्रल एकेडमी, सेक्टर–4, विकास नगर, लखनऊ विद्यालय भवन का राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 के अनुरूप विद्यालय की उपयुक्तता हेतु अनुबन्धात्मक अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्न विशिष्ट शर्तो के अनुसार निर्गत किया जाता है।

- भवन स्वामी/प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि वर्णित स्थल पर विद्यालय का संचालन किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार का आंतरिक/बाह्य परिवर्तन, विस्तार एवं स्थल परिवर्तन की दशा में नगर निगम लखनऊ से पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
- आप द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त पूर्णता प्रमाण–पत्र एक माह के अन्दर प्रेषित किया जायेगा।
- भारतीय मानक संस्थान के कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड एवम सुसंगत गाइड लाईन पर आधारित स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा अनुमोदित स्ट्रक्चरल डिजाइन एवम् भूकम्परोधी समस्त प्राविधानों के साथ विद्यालय भवन का निर्माण एवं उपयोग शैक्षिक हेतु सुरक्षित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व भवन स्वामी/स्कूल प्रबन्धक का होगा।

- आप द्वारा कार्यालय में जमा किये गये मानचित्र में नियमों का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में संबधित वास्तुविद् तथा मानचित्र के विरूद्व निर्माण पाये जाने की स्थिति में निर्माणकर्ता/भवन स्वामी/प्रबन्धक को उत्तरदायी माना जायेगा और दोनों ही स्थितियों में उसकी पुष्टि किए जाने की दशा में यह प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा। विचलित भाग का नियमानुसार शमन की कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण से सुनिश्चित करें।
- आप द्वारा जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सैनीटेशन सिस्टम, प्रकाश व्यवस्था, वेन्टीलेशन आदि का प्राविधान नेशनल बिल्डिंग ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट–8 एवम् 9 में निर्धारित मानको के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
- आप द्वारा शारीरिक रूप से अशक्त विद्यार्थियों के लिए भवन सम्बन्धी संगत सुविधाएं जैसे कुर्सी तल तक पहुँच मार्ग, प्रवेश/निकास द्वारा को जोड़ने का गलियारा, सीढ़ी मार्ग, शौचालय, पेयजल इत्यादि हेतु आवश्यक प्राविधान किया जायेगा।
- आप द्वारा विद्यालय भवन की छत एवं खुले स्थानों से प्राप्त होने वाले वर्षाजल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से भूमिगत जल संरक्षण हेतु आवश्यक प्राविधान किया जायेगा।
- आप द्वारा भू–प्रयोग प्रमाण–पत्र एक माह के अन्दर प्रेषित किया जायेगा।
- आप द्वारा परिसर में समुचित हरित पट्टिका का विकास किया जायेगा।

कृपया नोट करें कि उपरोक्त में से किसी भी शर्त का अतिक्रमण/उल्लंघन किए जाने व पुष्टि **होने की दशा में आपका अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।**

भवदीय

12/10

(डी0एस0 त्रिपाठी)
सहायक अभियन्ता
नगर निगम, जोन–4

डी0 एस0 त्रिपाठी
सहायक अभियन्ता